

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक / रीडर / 2021 / 236

दिनांक :- 4-8-21

मुकदमा नंबर 134 / 2021

प्रार्थी	ब्लाम	विप्रार्थीगण
1. वीराराम पुत्र सवीया उर्फ सवाराम जाति भील निवासी पाटोदी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।		1. जगीया उर्फ जगाराम पुत्र सवीया उर्फ सवाराम जाति भील निवासी पाटोदी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर । 2. आनन्द कुमार पुत्र मूलचंद जाति जैन निवासी पचपदरा तह0 पचपदरा 3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जी पचपदरा

आदेश

दिनांक :- 4.08.2021

उपर्युक्त प्रकरण मौजा पाटोदी पटवार क्षेत्र पाटोदी तहसील पचपदरा में मूल खसरा 4447/3989 रकबा 06.07 बीघा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीश्नर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा कि या जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।



क्रमांक / रीडर / 2021 / 237-241

1. तहसीलदार पचपदरा पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. सम्बन्धित थानाधिकारी पुलिस थाना पचपदरा को पालना हेतु
3. पटवारी क्षेत्र पाटोदी तहसील पचपदरा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि का मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
4. प्रार्थीगण वीराराम पुत्र सवीया उर्फ सवाराम जाति भील निवासी पाटोदी, तहसील पचपदरा
5. विप्रार्थीगण जगीया उर्फ जगाराम पुत्र सवीया उर्फ सवाराम जाति भील निवासी पाटोदी, तहसील पचपदरा ।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा
दिनांक :- 4-8-21

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा